संलग्नक—1

(जिसका उल्लेख परिपत्र के पैरा 1 में है)

संख्या 1355/इक्कीस—3(9)—71

प्रेषक,

श्री एम0 लाल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलों के आयुक्त, जिलाधिकारी
तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 27 अगस्त, 1971।

विषय—भारत सरकार से हिन्दी में पत्र-व्यवहार।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जैसा कि पिछले वर्षों में जारी किये गये परिपत्रों में दोहराया गया है, इस प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है और शासन यह अपेक्षा करता है कि समस्त सरकारी कार्य हिन्दी भाषा में होना चाहिये। केन्द्रीय तथा अन्य सरकारों से पत्र-व्यवहार के विषय में शासन के परिपत्र सं0 1625/इक्कीस—3(13)—67, दिनांक 11 जुलाई, 1968 में यह बताया गया था कि उनके साथ भी पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाय और अहिन्दी भाषी राज्यों से पत्र-व्यवहार करते समय उनका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में संलग्न किया जाय।

2—शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि अभी सम्पूर्ण कार्य उपरोक्त आदेशानुसार नहीं किया जा रहा है। अतएव, शासन के अर्द्धशासकीय परिपत्र सं0 5900/दो—क—71, दिनांक 19 जून, 1971 के द्वारा अभी हाल में शासन का यह निश्चय दोहराया गया है कि इस प्रदेश की राजभाषा हिन्दी में ही समस्त सरकारी कार्य होना चाहिये और आपसे अनुरोध किया गया था कि शासन से पत्र-व्यवहार में कोई भी पत्र अंग्रेजी में न भेजा जाय आपके अधीनस्थ कार्यालयों में समस्त काम हिन्दी में करने का प्रबन्ध किया जाय।

3—जहां तक भारत सरकार से पत्र-व्यवहार का प्रश्न है, मुझे फिर शासन का य निर्णय दोहराना है कि पत्र हमेशा हिन्दी में ही जायं। यदि कहीं भाषा के कारण भारत सरकार में किसी पत्रपर तुरन्त कार्यवाही न होने की आशंका हो तो मूलपत्र हिन्दी में ही जाय पर साथ ही उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी संलग्न कर दिया जाय।

4—आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाय।

भवदीय,
एम0 लाल,
मुख्य सचिव।